

"आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी"

के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन क्रमांक 04/2026

दिनांक 09/07/2026

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि – 10.08.2026 को संध्या 5.00 बजे तक

आवेदित पद का नाम:- "आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी"

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)

(श्री / श्रीमती / कु.)

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट
साईज
फोटोग्राफ

2. पिता/पति का पूरा नाम

3. जन्मतिथि

4. आयु दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में

--	--	--

वर्ष माह दिन

5. लिंग [महिला / पुरुष / तृतीय लिंग (Transgender Persons)]

6. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं अथवा नहीं (स्पष्ट उल्लेख करें).....

(यदि है तो स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7. रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, हाँ / नहीं.....

(यदि है तो रोजगार कार्यालय में पंजीयन का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता (संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	कक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	वर्ष	प्रतिशत
1.				
2.				
3.				
4.				

9. शासकीय सेवक (स्थायी अथवा अस्थायी)– (हैं/नहीं है)

यदि हैं तो आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से प्रेषित करें अथवा विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात् वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करें।

11. आवेदित पद यथा:– सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेंडेन्ट हेतु कोई अनुभव, (हैं/नहीं है)

(यदि है तो स्पष्ट उल्लेख करें तथा स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12. वर्ग (जो लागू हो)

अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य

(स्वप्रमाणित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) की छायाप्रति संलग्न करें),

13. क्या आवेदक दिव्यांग है, हाँ/नहींदिव्यांगता का प्रतिशत.....

(यदि है तो स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. क्या आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दण्डिक प्रकरण दर्ज हुआ है/लंबित है/गिरफ्तारी हुई है/सजा हुई है, हाँ/नहीं(यदि हाँ तो स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण दें)

.....

15. क्या आवेदक को उच्च न्यायालय या किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से अयोग्य (disqualified) अथवा प्रतिबंधित (banned) किया गया है, या किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है, हाँ/नहीं(यदि हाँ तो स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण दें)

.....

.....

16. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

.....

.....

.....

17. स्थायी पता

.....

.....

.....

18. संलग्नकों की सूची-

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |

घोषणा पत्र

मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैंने अपनी शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही-सही पूर्ण विवरण दिया है। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

स्थान -

दिनांक -

(आवेदक के हस्ताक्षर)

शपथ-पत्र का प्रारूप (केवल आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हेतु)

|| शपथ-पत्र ||

मैं (शपथकर्ता का नाम).....
 पिता/पति..... जन्मतिथि.....वर्ग.....
 निवासी..... जिला..... का हूँ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्रमांक-04/2026 में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र के संबंध में निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ:-

1. यह कि, मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है। आठवीं से अधिक (उच्च योग्यता) मेरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है।
2. मेरे आठवीं के अंकसूची में मेरा प्रतिशत अथवा ग्रेड अथवा सी.जी.पी.ए. है।
3. यह कि, मैंने आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र में शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया हूँ एवं मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।
4. यह कि, उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम :-

सत्यापन

मैं, एतद्वारा यह शपथ करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक-01 से 04 तक में दी गयी समस्त जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार पूर्ण सत्य है।

दिनांक:-

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम :-

नोट:- शपथ-पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन शैक्षणिक संस्थानों से कराया जाएगा। यदि शपथ-पत्र में उल्लेखित तथ्य सत्यापन उपरांत या अन्य किसी स्तर पर असत्य पाये जाते हैं तब असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।"